न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—23/10

1. मदनलाल पुत्र बोदूराम कुमावत, उम्र 68 वर्ष, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार द्वारा तहसीलदार, चौमू।
2. हनुमान पुत्र भूरा अहीर,
3. जगदीश पुत्र भूरा अहीर,
4. बाबूलाल पुत्र भूरा अहीर,
5. श्रीमती गुलाब कंवर पत्नी भंवरसिंह राजपूत, समस्त निवासी सामोद, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 25.10.17

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौंमू के आदेश दिनांक 21.12.2009 (प्रकरण संख्या 5/07) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के प्रावधानों को समझे बिना ही प्रार्थना पत्र को अबेट करने की आज्ञा देने में भूल की है, जो विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 299 रकबा 4 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 567 रकबा 0.03 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 569 रकबा 0.01 हैक्टयर स्थिति है गलत खसरा नम्बर 299 में 1 बिस्वा रकबा सार्वजनिक निमार्ण विभाग में अवाप्त होने पर शेष 3 बिस्वा का खातेदार भूरा ने मिन प्रतिवादी अपीलान्ट को विक्रय कर दिया जिसका नामान्तरकरण व जमाबन्दी अपीलान्ट के नाम बतौर खातेदार दर्ज हो गया किन्तू भूरा द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय कर देने के पश्चात भी वर्तमान भू प्रबन्ध के गत जमाबन्दी की प्रविष्टियों को रिपीट न कर विपक्षीगण का नाम 1/8 भाग पर गलत दर्ज कर देने के विरूद्ध उक्त क्लेरिकल त्रुटि में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा श्रीमती प्रभाती पत्नी भूरा का स्वर्गवास दौराने कार्यवाही हो जाने पर विपक्षी वकील को न्यायालय को देना आवश्यक था किन्तु उन्होने जानकारी न्यायालय को आदेश 22 नियम 10ए सी.पी.सी. के अनुसार नही दी तब अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मृतक के पुत्र जो पूर्व में पहले से ही पक्षकार थे के अलावा मृतक की पुत्रियों को पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत करना मानकर प्रार्थना पत्र को अबेट करने का आदेश देकर अधिकारों का दुरूपयोग किया है। अतः अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 22 नियम 10ए सी.पी.सी. के प्रावधानों को न समझने में भूल की है, यदि विपक्षी न्यायालय को सूचना नही देता है तो प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. को विलम्ब से प्रस्तुत होना नही माना जाता है, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को बिना समझे ही प्रार्थना पत्र अबेट करने की आज्ञा देकर अधिकारों को दुरूपयोग किया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार हो, निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त हो तथा अबेटमेन्ट निरस्त कर पत्रावली मैरिट्स पर निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4, वादग्रस्त भूमि के अपने आधे हिस्से पर एवं अपने 1/8 हिस्से पर बतौर खातेदार काश्तकार शामलाती में बाकायदा काबिज चले आ रहे है तथा रिकार्ड मौजूदा सही है, मुआवजे के तथ्यों को अपीलान्ट ने तोड़ मरोड़कर गलत अंकित किया गया है तथा अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट के 1/8 हिस्से के पश्चात् 3/8 का ही क्लेम कर सकता है, रेस्पोडेन्ट का वादग्रस्त आराजी में 1/8 हिस्सा है, अपीलान्ट को ढेड बिस्वा भूमि नही बेची गई है, अपीलान्ट उक्त आराजीयात के आधे हिस्से पर कतई भी काबिज नही है, वैसे भी यदि अपीलान्ट कोई खातेदारी क्लेम करता है तो उसे घोषणा का वाद करना चाहिये जबकि रेस्पोडेन्ट के वाद सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिनमें बाद साक्ष्य, पक्षकारान के मध्य खातेदारी अधिकारों व कब्जे के विवाद्यकों को निर्धारण होना है इसलिये वाद के चलते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पोषणीय ही नही था। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रभाती के निधन की न तो तिथि अंकित की गई तथा उन्होने यह भी स्पष्ट नही लिखा गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रभाती का नाम हजफ कराना चाहता है या उसके कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पोषणीय नही होने से खारिज योग्य ही था, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.09 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रभाती पत्नी भूरा के वारिसान है तथा रेस्पोडेन्ट प्रभाती की मृत्यु होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 द्वारा अपने माताजी की मृत्यु की सूचना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दी जानी चाहिये थी लेकिन रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी माताजी प्रभाती पत्नी भूरा की मृत्यु की सूचना अधीनस्थ न्यायालय को

संभागीय आयुक्त
जयपुर

नही दी गई एवं ना ही उसके वारिसान से अवगत कराया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिक परीक्षण किये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.09 को पारित कर दिया गया, जिसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.09 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में रेस्पोडेन्ट प्रभाती पत्नी भूरा के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण का विधिक प्रावधानों के अनुरूप परीक्षण करने के उपरान्त पुनः गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।